

विस्तारपूर्वक एवं सचिव हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा को लिखे पत्र क्रमांक 32/92/92 शि-टा 13 दिनांक 5.1.1993 की प्रति

===

विषय:- सेंट्रल बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, नई दिल्ली से एफिलिडेशन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र-बाल विकास स्कूल पानीपत ।

===

उपर्युक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक 23/89-92 वि-5 दिनांक 17.9.92 के संदर्भ में ।

2. बाल विकास स्कूल पानीपत को सेंट्रल बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, नई दिल्ली से मैट्रिक स्तर तक एफिलिडेशन हेतु सरकार को कोई अपत्ति नहीं है ।

कार्यालय: निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृष्ठांकन क्रमांक: 23/89-92 वि-1 5 दिनांक चण्डीगढ़ 18.1.93

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत ।
2. मुख्य अध्यापक बाल विकास स्कूल पानीपत ।

अधीशक विद्यालय-18/1-92  
दिनांक: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़